रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 21, 2010/वैशाख 31, 1932

No. 285] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 21, 2010/VAISAKHA 31, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2010

सा.का.नि. 443(अ).—केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2010 का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 267(अ), तारीख 30 मार्च, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीन दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 30 मार्च, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त अधिसूचना की प्रति 30 मार्च, 2010 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 115 में,—

(अ) उप-नियम (14) में,—

(क) खंड च में, "1 अप्रैल, 2010 से विनिर्मित दुपहिए और तिपहिए यान के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम-III) इस प्रकार होंगे" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) (i) उप-खंड (iii) में यथाविनिर्दिष्ट द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम-III) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद शहर जिसमें सिकन्दराबाद भी है, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, शोलापुर और लखनऊ को 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् विनिर्मित दो और तिपहिए वाहनों के संबंध में लागू होंगे ।"

(ii) उप-खंड (iii) में यथाविनिर्दिष्ट द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम III), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलौर, हैदराबाद जिसमें सिकन्दराबाद भी है, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, शोलापुर और लखनऊ को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1 अक्तूबर, 2010 को या उसके पश्चात् विनिर्मित दुपहिए और तिपहिए वाहनों के संबंध में लागू होंगे ।

(iii) दुपहिए और तिपहिए यानों के द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम III) निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

(ख) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(छ) 1 अक्तूबर, 2010 से ही विनिर्मित चार पहिए वाले यानों के संबंध में इस उप-नियम के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलौर, हैदराबाद जिसमें सिकन्दराबाद भी है, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, शोलापुर, लखनऊ के सिवाय सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे ।

(ख) उप-नियम (15) में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु 1 जून, 2010 को या उसके पश्चात् विनिर्मित चार पहिए वाले परिवहन यानों के संबंध में द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम-IV), शोलापुर और लखनऊ में उन शहरों की अधिकारिता के भीतर अंतर्राज्यीय अनुज्ञप्ति या राष्ट्रीय अनुज्ञप्ति या अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञप्ति पर चलने वाले चार पहिए वाले परिवहन यानों के सिवाय, प्रवृत्त होंगे ।"

[फा. सं. आरटी-11011/11/2009-एमवीएल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 में अधिसूचित किए गए थे और उनमें अंतिम बार सा.का.नि. 386(अ), तारीख 7 मई, 2010 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2010

G.S.R. 443(E).—Whereas the draft of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2010 was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 267 (E), dated the 30th March, 2010, as required by sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of three days from the date on which the Gazette copies of the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 30th March, 2010;

And whereas, the copy of the said notification was also made available on the website of the Ministry of Road Transport and Highways on the 30th March, 2010;

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 110 of the said Motor Vehicles Act, 1988 the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 115,—

(A) In sub-rule (14),—

(a) in clause F, for the words, brackets, figures and letters "Mass Emission Standards (Bharat Stage-III) for two and three wheelers manufactured on and from 1st April, 2010 shall be as under :—", the following shall be substituted, namely :—

"(F) (i) The Mass Emission Standards (Bharat Stage-III) as specified in sub-clause (iii), shall be applicable in the National Capital Region and the cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad including Secunderabad, Ahmedabad, Pune, Surat, Kanpur, Agra, Sholapur and Lucknow in respect of two and three wheeler vehicles manufactured on or after 1st April, 2010.

(ii) the Mass Emission Standards (Bharat Stage-III) as specified in sub-clause (iii), shall be applicable in all the States and the Union Territories accept National Capital Region and the cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad including Secunderabad, Ahmedabad, Pune, Surat, Kanpur, Agra, Sholapur and Lucknow in respect of two and three wheeler vehicles manufactured on or after 1st October, 2010.

(iii) the Mass Emission Standards (Bharat Stage-III) for two and three wheeler vehicles shall be as under :—";

(b) for clause (G), the following clause shall be substituted, namely :—

"(G) The provisions of this sub-rule in respect of four wheeler vehicles manufactured on and from the 1st October, 2010 shall apply to all the States and the Union Territories accept National Capital Region and the cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad including Secunderabad, Ahmedabad, Pune, Surat, Kanpur, Agra, Sholapur and Lucknow.";

(B) In sub-rule (15), after clause (a), the following provisions shall be inserted, namely :—

"Provided that the Mass Emission Standards (Bharat Stage-IV) shall be applicable in the cities of Sholapur and Lucknow in respect of four wheeler vehicles manufactured on or after 1st June, 2010 except the four wheeler transport vehicles plying on Inter-State Permits or National Permits or All India Tourist Permits, within the jurisdiction of the said cities.".

[F. No. RT-11011/11/2009-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were notified in the Gazette of India *vide* G.S.R. 590(E), dated 2nd June, 1989 and last amended *vide* G.S.R.386(E), dated 7th May, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.